



झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 7 राँची, बुधवार

3 फाल्गुन, 1944 (श०)

22 फरवरी, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 66-77 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

9 दिसम्बर, 2022

संख्या-04/नि०सं०-12-45/2016 का. 7935—स्व० नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 776/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी द्वारा उपभोग किये गये अवकाश अवधि दिनांक 25.01.2017 से 28.01.2018 तक (कुल 369 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

30 दिसम्बर, 2022

संख्या-03/नि०सं०-09-20/2016 का० 8309—श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 732/03), उप विकास आयुक्त, लातेहार को दिनांक 09.09.2022 से 23.09.2022 तक (कुल 15 दिनों का) रूपांतरित अवकाश झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 234 के तहत स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2022

संख्या-4/नि०सं०-12-103/2015 का.-8108--श्रीमती अरुणा कुमारी, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 316/20) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जयनगर, कोडरमा को वित्त विभागके संकल्प एवं झारखण्ड सेवा संहिता के सुसंगत नियमों के तहत मातृत्व उपार्जित एवं अर्द्धवैतनिक अवकाश की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

- | | | |
|-------|---|---|
| (i) | दिनांक 20.12.2021 से 06.07.2022 तक
(कुल 199 दिन) | झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में। |
| (ii) | दिनांक 07.07.2022 से 17.07.2022 तक
(कुल 11 दिन) | झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 232 के तहत अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में। |
| (iii) | 18.07.2022 से 13.01.2023 तक
(कुल 180 दिन) | वित्त विभाग के संकल्प संख्या-907 दिनांक 01.07.2010 एवं संकल्प संख्या-551/वि0 दिनांक 01.03.2007 के तहत मातृत्व अवकाश के रूप में, |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

8 फरवरी, 2023

संख्या-15/सा०अव०-03-01/2023 का०-747--झारखण्ड राज्य अन्तर्गत 23-रामगढ़ में विधान सभा उप चुनाव, 2023 के लिए मतदान की निर्धारित तिथि-27.02.2023 (सोमवार) को संबंधित विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135(ख) के तहत मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश की मंजूरी के संबंध में निम्नांकित प्रावधानों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

1. किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।
2. धारा 135(ख) की उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामानतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।
3. यदि कोई नियोजक धारा 135(ख) की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
4. यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

सभी संबंधित प्राधिकारों को निदेश दिया जाता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,
सरकार के अवर सचिव
झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।-----
अधिसूचना

8 फरवरी, 2023

संख्या-15/सा०अव०-03-01/2023 का.- 748--भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की प्रेस विज्ञप्ति (संख्या- ECI/PN/2/2023 दिनांक-18.01.2023) एवं मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, राँची के पत्रांक-124 दिनांक-18.01.2023 के आलोक में झारखण्ड राज्य के 23-रामगढ़ में विधानसभा उप चुनाव, 2023 के लिए रामगढ़ विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत झारखण्ड सरकार के सभी कार्यालयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा सार्वजनिक बैंकों में मतदान की निर्धारित तिथि 27.02.2023 (सोमवार) को निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा-25 के तहत स्थानीय सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रज माधव,

सरकार के अवर सचिव।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।-----
अधिसूचना

16 जनवरी, 2023

संख्या-1/विविध-808/06 खण्ड का०- 229--श्रीमती वंदना दादेल, भा.प्र.से. (झा:1996), प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड को भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या- 13018/1/2010, दिनांक- 07.09.2010 के आलोक में दिनांक 20.01.2023 से 15.02.2023 तक कुल 27 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

2 जनवरी, 2023

संख्या-4/नि०सं०-12-83/2020-14 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री अभिषेक पाण्डेय, षष्ठम बैच (गृह जिला-राँची), की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ-6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण संपुष्ट की जाती है :-

Sl. No.	Employee Name G.P.F. No.	Current Department	<u>Current Office</u> Current Designation	Joining Date in Service	Date of Service Confirmation
1	2	3	4	5	6
1	ABHISHEK PANDEY- (110185072723)	DC OFFICE CHATRA	<u>HUNTERGANJ</u> <u>(SHALIGRAM</u> <u>NARAYANPUR)</u> <u>BLOCK, CHATRA</u> Block Development Officer	30/07/2020	30/07/2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या: PTS/CAC/16

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं REKHA DEVI, पति SRAWAN PRASAD, PARI KUMARI (अन्य नाम RUHI KUMARI) की माता, शपथ पत्र सं० 48, दिनांक 30 जनवरी, 2023 के अनुसार घोषणा करती हूँ कि मेरी पुत्री PARI KUMARI (जन्म तिथि 19 मार्च, 2016) के नाम से जानी जायेगी।

PARI KUMARI एवं RUHI KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- MAKUNDA,
P.O.- NARKOPI,
P.S.- NARKOPI,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835301
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं BIRENDRA KUMAR, TANYA YADAV (अन्य नाम RIYA KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 102, दिनांक 21 जनवरी, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री TANYA YADAV के नाम से जानी जायेगी।

TANYA YADAV एवं RIYA KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- GHARWATAND,
P.O.- CHAMPI,
P.S.- PETARBAR,
DIST.- BOKARO,
PIN - 829123
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RAMBHA अन्य नाम RAMBHA DEVI पति DILESHWAR MAHTO, शपथ पत्र सं० 30, दिनांक 4 फरवरी, 2023 के अनुसार RAMBHA के नाम से जानी जाऊँगी।

RAMBHA एवं RAMBHA DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- CHARKUDIH,
P.O.- BARANDA,
P.S.- SANAHA TU,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835102
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MARTHA KISHORI KINDO अन्य नाम MARTHA KUJUR पति Late JOHN JAIMAN KUJUR, शपथ पत्र सं० 468, दिनांक 4 फरवरी, 2023 के अनुसार MARTHA KISHORI KINDO के नाम से जानी जाऊँगी।

MARTHA KISHORI KINDO एवं MARTHA KUJUR दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - CATHOLIC ASHRAM MURI,
VILL.- CHOTA MURI,
P.O.- CHOTA MURI,
P.S.- SILLI,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835101
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KUNWARI LAKRA अन्य नाम ANAND KUNWARI LAKRA पति FRANSIS JEVIER BAKHLA, शपथ पत्र सं० 323, दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 के अनुसार KUNWARI LAKRA के नाम से जानी जाऊँगी।

KUNWARI LAKRA एवं ANAND KUNWARI LAKRA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- JITIYA TOLI DUMRI,
P.O.- NOADIH,
P.S.- DUMRI,
DIST.- GUMLA,
PIN - 835230
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SAKINA KHATUN अन्य नाम SMMA BEGM पति MD ASIN ANSARI, शपथ पत्र सं० 92, दिनांक 31 जनवरी, 2023 के अनुसार SAKINA KHATUN के नाम से जानी जाऊँगी।

SAKINA KHATUN एवं SMMA BEGM दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- NADKARI,
P.O.- JAMU,
P.S.- MARKACHO,
DIST.- KODERMA,
PIN - 825318
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं KESHO DEVI अन्य नाम KESMI DEVI पति Late JETHUA MAHTO, शपथ पत्र सं० 62, दिनांक 17 जनवरी, 2023 के अनुसार KESHO DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।
KESHO DEVI एवं KESMI DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- BAMNE,
P.O.- RAY,
P.S.- KHALARI,
DIST.- RANCHI,
PIN - 829209
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MANSA SHUKLA अन्य नाम MANSA PANDEY पति PANKAJ KUMAR, शपथ पत्र सं० 1069, दिनांक 4 फरवरी, 2023 के अनुसार MANSA SHUKLA के नाम से जानी जाऊँगी।
MANSA SHUKLA एवं MANSA PANDEY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- DANDILA KHURD,
P.O.- REHLA,
P.S.- REHLA,
DIST.- PALAMU,
PIN - 822124
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं MUNNA MUNDA अन्य नाम BIGLA MAHTO पिता Late CHUMNU MUNDA, शपथ पत्र सं० 02, दिनांक 4 अगस्त, 2022 के अनुसार MUNNA MUNDA के नाम से जाना जाऊंगा।
MUNNA MUNDA एवं BIGLA MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- BETLANGI,
P.O.- PATARATU,
P.S.- CHANHO,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835214
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं JILANI ANSARI अन्य नाम ABDUL JILANI पिता SERAJ ANSARI, शपथ पत्र सं० 781, दिनांक 25 जनवरी, 2023 के अनुसार JILANI ANSARI के नाम से जाना जाऊंगा।
JILANI ANSARI एवं ABDUL JILANI दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- BRAMBE,
P.O.- BRAMBE,
P.S.- MANDAR,
DIST.- RANCHI,
PIN - 835205
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं RABINDRA KU YADAV, AYUSH KUMAR (अन्य नाम CHETLAL KUMAR YADAV) का पिता, शपथ पत्र सं० 26, दिनांक 27 जनवरी, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र AYUSH KUMAR (जन्म तिथि 28 अप्रैल, 2014) के नाम से जाना जायेगा।

AYUSH KUMAR एवं CHETLAL KUMAR YADAV दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- HERHANJ,
P.S.- HERHANJ,
DIST.- LATEHAR,
PIN - 829202
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं PRAMILA DEVI अन्य नाम PREM DEVI पति Late GOKULANAND SINGH, शपथ पत्र सं० 409, दिनांक 7 फरवरी, 2023 के अनुसार PRAMILA DEVI के नाम से जानी जाऊँगी।

PRAMILA DEVI एवं PREM DEVI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL.- DUNGO GAIDA,
P.O.- JARMUNE,
P.S.- BISHUNGARH,
DIST.- HAZARIBAG,
PIN - 825312
JHARKHAND.
